न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 16/2019
दायर दिनांकः 05.08.2019
निर्णय दिनांक 28.11.2025

—: अनवान :—

गोपाल पिता कमल लाल जी दवे ब्राह्मण, आयु 37 वर्ष निवासी बामनटुकडा, हाल निवासी 168/3, शीतल नगर, बाणगंगा इन्दौर (म.प्र.)

— निगराकार

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पिता हरिराम जी दवे ब्राह्मण, आयु 70 वर्ष, निवासी निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चितौडगढ़ हाल निवासी बामनटुकडा, तहसील व जिला राजसमन्द मृतक के बजाय

1/1. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण जी पत्नि भैरूलाल जी बागोरा निवासी बड़ी पोल आमेट तहसील आमेट

1/2. ललिता पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण जी पत्नि लाला जी बागोरा निवासी बड़ी पोल, आमेट तहसील आमेट

1/3. सोनु पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण जी दवे निवासी बड़ी पोल, आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

1/4. रेणु पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण जी दवे पति राधेश्याम जी पुरोहित निवासी आर के0 कोलोनी, गली नंबर 10, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़

2. ग्राम पंचायत बामनटुकडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बामनटुकडा, तहसील व जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः—

1— श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री, डुगरसिंह कर्णावट अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01
3— अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बामनटुकडा, तहसील व जिला राजसमन्द की आबादी भूमि में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य के 3 मकान बने हुए है जो काफी वर्षों से बने हुए है जो आराजी नंबर 392 में बने हुए है। वादग्रस्त सम्पति जो लगभग 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी है जिसके पडौस इस प्रकार है कि पूर्व में:– मिठ्ठालाल दवे का खेत, पश्चिम में:– आम सडक, उत्तर में:– हीरालाल प्रजापत का मकान तथा दक्षिण में:– आम रास्ता है। प्रार्थी के दादाजी की क्रयशुदा आबादी भूमि जो लगभग 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी होकर जिसके चारो तरफ पत्थर की दिवार बनी हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी के दादा ने वर्ष 1963–64 में क्रय की तब से प्रार्थी के दादा व उनकी मृत्यू के पश्चात् प्रार्थी के पिता व प्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है लेकिन प्रार्थी व उसके पिता अभी इन्दौर में मजदूरी हेतु निवास कर रहे है लेकिन महीने में 1–2 बार अपनी सम्पति के रख रखाव व देख–रेख में लिये आते जाते रहते है। प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की इस भूमि में प्रार्थी की बिना जानकारी में विपक्षी संख्या 1 के नाम विपक्षी संख्या 2 ने एक पट्टा दिनांक 20.11.2006 को नियम 157 के तहत पट्टा संख्या–1798 जारी कर दिया है जब कि विपक्षी संख्या 2 को यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है न ही विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व आधिपत्य की है बावजुद उसके विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी तरिके से आर्थिक लाभ प्राप्त कर यह पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। इस भूमि के संबंध में पंचायत द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि में नाली निकासी हेतु सूचना पत्र दिनांक 20.6.2006 को दिया गया कि आपके (प्रार्थी) पास इस सम्पति के पास अपने स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज हो तो पंचायत में पेश करे। प्रार्थी के परिजन ने अपने मूल दस्तावेज पंचायत द्वारा मांगने पर पंचायत को मूल दस्तावेज ही सिपुर्द्ध कर दिये। जिसमें वादग्रस्त जमीन के असल दस्तावेज, प्रार्थी की इसी गांव में स्थित अन्य भूमि के दस्तावेज एवं राजकीय दस्तावेज थे, जो पंचायत को सिपुर्द्ध कर दिये। प्रार्थी के परिजन द्वारा अपनी सम्पति के मुल दस्तावेज पंचायत में पेश करने के बाद जब पुनः अपने मूल दस्तावेज पंचायत से मांगे तो पंचायत ने नही दिये जिस पर काफी विवाद होने पर एक समझौता पत्र दिनांक 18.8.2006 को निष्पादित कर इस जमीन के पीछे आबादी भूमि में पट्टा देने की शर्त तय की गई लेकिन उस जगह दुसरे व्यक्ति के नाम पट्टा जारी कर दिया जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा सरपंच के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही कर रखी है जो अभी विचाराधीन है। उपरोक्त भूमि के संबंध में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा विपक्षी संख्या 2 से प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में स्पष्टिकरण मांगा तो दिनांक 28.9.2009 को तत्कालीन सचिव द्वारा उस सूचना की जानकारी माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द व प्रार्थी को भेजी गई जिसमें भी तत्कालीन सचिव ने यह माना की प्रार्थी के मुल दस्तावेज कही गुम हो गये है और उक्त सूचना की पत्रावली में रिकॉर्ड पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

होने के बावजुद विपक्षी संख्या 1 के नाम प्रार्थी की जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया इस संबंध में तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सचिव को एफ.आई.आर. दर्ज कराने के आदेश भी जारी कर रखे है लेकिन आज दिनांक तक एफ. आई.आर. दर्ज नही हुई है। इसी संबंध में प्रार्थी की अपनी स्वामित्व आधिपत्य की भूमि के संबंध में तत्कालीन सचिव द्वारा प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के अधिकार के तहत दी गई रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि पंचायत व प्रार्थी के पिता के मध्य दिनांक 18.8.2006 को समझौता हुआ था तथा तत्कालीन सरपंच जगदीश दवे द्वारा समझौता पत्र लिखा गई उसके बावजुद इसी जगदीश दवे ने 3 महिने बाद ही अपने पद का दूरूपयोग करते हुए विपक्षी संख्या 1 से पैसे लेकर प्रार्थी का मकान होने के बावजुद विपक्षी संख्या1 को गलत रूप से पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है एवं तत्कालीन सरंपच व सचिव के विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि भ्रष्टाचार कम हो। उक्त अवैध व फर्जी पट्टे की जानकारी ही अभी 5 दिवस पूर्व प्रार्थी अपने गांव अपने मकान पर आया तो देखा कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिस पर प्रार्थी ने मना किया तो विपक्षी संख्या 1 ने कहा कि उसके पास पट्टा है। प्रार्थी ने पंचायत में पता किया तो पता चला कि पंचायत ने फर्जी व अवैध तरिके से विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी कर दिया है, जानकारी होते ही अन्दर अवधि यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी आपत्तिवश धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.11.2006 पट्टा संख्या 1798 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे व नियमानुसार पंचायत के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता डुंगरसिंह कर्णावट द्वारा उपस्थिति दी गई। तथा अप्रार्थी संख्या 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 25.08.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा ग्राम पंचायत बामनटुकड़ा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजस्व ग्राम बामनटुकडा, तहसील व जिला राजसमन्द की आबादी भूमि में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य के 3 मकान बने हुए है जो काफी वर्षों से बने हुए है जो आराजी नंबर 392 में बने हुए है। वादग्रस्त सम्पति जो लगभग 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी है उक्त भूमि प्रार्थी के दादा ने वर्ष 1963–64 में क्रय की तब से प्रार्थी के दादा व उनकी मृत्यू के पश्चात् प्रार्थी के पिता व प्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की इस भूमि में प्रार्थी की बिना जानकारी में विपक्षी संख्या 1 के नाम विपक्षी संख्या 2 ने एक पट्टा दिनांक 20.11.2006 को नियम 157 के तहत पट्टा संख्या 1798 जारी कर दिया है जब कि विपक्षी संख्या 2 को यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है न ही विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व आधिपत्य की है बावजुद उसके विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी तरिके से आर्थिक लाभ प्राप्त कर यह पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। इस भूमि के संबंध में पंचायत द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि में नाली निकासी हेतु सूचना पत्र दिनांक 20.6.2006 को दिया गया कि आपके (प्रार्थी) पास इस सम्पति के पास अपने स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज हो तो पंचायत में पेश करे। प्रार्थी के परिजन ने अपने मूल दस्तावेज पंचायत द्वारा मांगने पर पंचायत को मूल दस्तावेज ही सिपुर्द्ध कर दिये। जिसमें वादग्रस्त जमीन के असल दस्तावेज, प्रार्थी की इसी गांव में स्थित अन्य भूमि के दस्तावेज एवं राजकीय दस्तावेज थे, जो पंचायत को सिपुर्द्ध कर दिये। प्रार्थी के परिजन द्वारा अपनी सम्पति के मूल दस्तावेज पंचायत में पेश करने के बाद जब पुनः अपने मूल दस्तावेज पंचायत से मांगे तो पंचायत ने नही दिये जिस पर काफी विवाद होने पर एक समझौता पत्र दिनांक 18.8.2006 को निष्पादित कर इस जमीन के पीछे आबादी भूमि में पट्टा देने की शर्त तय की गई। लेकिन उस जगह दुसरे व्यक्ति के नाम पट्टा जारी कर दिया जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा सरपंच के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही कर रखी है जो अभी विचाराधीन है। उपरोक्त भूमि के संबंध में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा विपक्षी संख्या 2 से प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में स्पष्टिकरण मांगा तो दिनांक 28.9.2009 को तत्कालीन सचिव द्वारा उस सूचना की जानकारी माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द व प्रार्थी को भेजी गई जिसमें भी तत्कालीन सचिव ने यह माना की प्रार्थी के मूल दस्तावेज कही गुम हो गये है और उक्त सूचना की पत्रावली में रिकॉर्ड पर होने के बावजुद विपक्षी संख्या 1 के नाम प्रार्थी की जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया। इस संबंध में तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सचिव को एफ.आई.आर. दर्ज कराने के आदेश भी जारी कर रखे है लेकिन आज दिनांक तक एफ.आई.आर. दर्ज नही हुई है। इसी संबंध में प्रार्थी की अपनी स्वामित्व आधिपत्य की भूमि के संबंध में तत्कालीन सचिव द्वारा प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के अधिकार के तहत दी गई रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि पंचायत व प्रार्थी के पिता के मध्य दिनांक 18.8.2006 को समझौता हुआ था तथा तत्कालीन सरपंच जगदीश दवे द्वारा समझौता पत्र लिखा गई। उसके बावजुद इसी जगदीश दवे ने 3 महिने बाद ही अपने पद का दूरूपयोग करते हुए विपक्षी संख्या 1 से पैसे लेकर प्रार्थी का मकान होने के बावजुद विपक्षी संख्या 1 को गलत रूप से पट्टा जारी कर दिया है अतः निवेदन है कि निगराकार की

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.11.2006 पट्टा संख्या 1798 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत बामनटुकड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मीनारायण पिता हरिराम को उनके हिस्से में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157(1) के तहत नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी किया गया। लक्ष्मीनारायण जी को उनके हिस्से में पट्टा दिया गया है। क्योंकि बाप दादाओं की संपत्ति में सभी का हिस्सा आता है। लक्ष्मीनारायण जी के कोई पुत्र नहीं है इसलिए निगराकार द्वारा यह निगरानी संपत्ति हड़पने हेतु प्रस्तुत की गयी है। तथा पंचायत निष्पादित समझोता पत्र पर भी विपक्षी संख्या 1 के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। तथा भूखण्ड पर विपक्षी का कब्जा आधिपत्य होकर पंजीकृत पट्टा है। अतः प्रार्थी/निगराकार द्वारा विपक्षी के विरूद्ध परेशान करने उदेश्य से आधारहीन निगरानी प्रस्तुत की गयी है। तथा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी/निगराकार द्वारा निगरानी याचिका राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत बामनटुकड़ा जारी पट्टा संख्या 1798 दिनांक 20.11.2006 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की, कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी के दादाजी की क्रयशुदा आबादी भूमि जो लगभग लगभग 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी होकर जिसके चारो तरफ पत्थर की दिवार बनी हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी के दादा ने वर्ष 1963–64 में क्रय की तब से प्रार्थी के दादा व उनकी मृत्यू के पश्चात् प्रार्थी के पिता व प्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की इस भूमि में प्रार्थी की बिना जानकारी में विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मीनारायण पिता हरिराम को ग्राम पंचायत ने एक पट्टा दिनांक 20.11.2006 को नियम 157 के तहत पट्टा संख्या 1798 जारी कर दिया है। जो पंचायत द्वारा अवैध व फर्जी तरीके से जारी कर दिये जाने से पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 1798 दिनांक 20.11.2006 को निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

हमने यहां अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थी के आवेदन पत्र पर कोई दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया। इस आवेदन पत्र में मकान के स्थल का नक्शा व पड़ौस अंकित है, स्थल का क्षैत्रफल अंकित है और इसमें लिखा गया है कि ऋण हेतु पट्टे की आवश्यकता है। परन्तु इसमें कही भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है। उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। पटवारी रिपोर्ट का प्रपत्र भरा गया है लेकिन कहीं पर भी कोई पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट का प्रपत्र भरा हुआ है परन्तु उस

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। निर्णय पत्र सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित लगाया हुआ है परन्तु उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसी प्रकार जो लक्ष्मीनारायण का शपथ पत्र लगा हुआ है उस पर भी कोई स्थान या दिनांक अंकित नहीं है। जो आज्ञाओ की सूची अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगी हुई है। उस पर कहीं भी किसी प्रकार की दिनांक अंकित नहीं है कि वो कार्यवाही इस दिनांक को की गयी है केवल मात्र सरपंच के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किए हुए है। साथ ही आपत्ति आव्हान प्रपत्र लगे हुए है उस पर भी दिनांक का अंकन नहीं है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्वतः ही जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो विवादित पट्टा जारी किया गया है वो बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये हुए जारी किया गया है और सभी दस्तावेजो की पूर्ति सरपंच द्वारा मात्र औपचारिताओ की पूर्ति हेतु की गयी है जो अधुरी है उस पर कहीं ग्रामसेवक, पटवारी के हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है। अतः प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बामनटुकड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1798 दिनांक 20.11.2006 को निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत बामन टुकडा अप्रार्थीगण जो कि पट्टाधारी लक्ष्मीनारायण के वारिसान है उनके द्वारा सम्यक दस्तावेज सहित पुनः यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की पूर्ण पालना करते हुए पुनः नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। निर्णय की प्रति मय मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत बामनटुकड़ा को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)